

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमाश्लक गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोचिन

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant

An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in E-mail: commr@cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422 Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

ट्यापार स्विधा TRADE FACILITY NO. 07/2018

विषय: कीटनाशक चौथा संशोधन नियमावली, 2017 - कीटनाशकों के आयात के स्थानों पर

प्रतिबंध-संबन्धित

Sub: Insecticides Fourth Amendment Rules, 2017- Restriction on

places of Import of Insecticides -Reg

आयातकों, सीमा शुल्क ब्रोकरों, स्टीमर एजेंटों और अन्य सभी हितधारकों का ध्यान, कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 22.12.2017 की "कीटनाशक (चौथा संशोधन) नियमावली, 2017" की ओर आकर्षित किया जाता है।

Kind attention of importers, Customs Brokers, Steamer Agents and all other stakeholders is drawn to the "Insecticides (Fourth Amendment) Rules, 2017" dated 22.12.2017 notified by the Ministry of Agriculture and Family Welfare.

उपर्युक्त नियमावली के नियम 45 ने भारत में कीटनाशकों के आयात (कीटनाशक अधिनियम, 2. 1968 की अनुसूची में दर्शाये गए) के स्थान पर प्रतिबंध लगा दिया है, यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में कीटनाशकों के आयात को केवल निम्नलिखित स्थानों के माध्यम से अनुमति दी जाएगी:

Rule 45 of the said Rules has imposed restrictions on the place of Import of Insecticides (appearing in the Schedule of Insecticides Act, 1968) into India clarifying that Import of Insecticides into India shall be allowed only through the following Places:

- इनलैंड कटेनर डिपो, ग्रुग्राम (गुडगाँव) (i) Inland Container Depot, Gurugram(Gurgaon),
- चेन्नई बन्दरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंबई पोर्ट (मुंबई), समुद्री मार्ग से आयात किए (ii) जाने वाले कीटनाशकों के लिए, Chennai Port, Jawaharlal Nehru Port and Mumbai Port (Mumbai), in respect of insecticides imported by sea into India,

(iii) चेन्नई अंतराष्ट्रीय हवाई अइडा (चेन्नई), छत्रपति शिवाजी अंतराष्ट्रीय हवाई अइडा (मुंबई), इन्दिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाई अइडा (नई दिल्ली), वायु मार्ग से भारत में आयात किए जाने वाले कीटनाशकों के लिए

Chennai International Airport (Chennai), Chhatrapati Shivaji International Airport (Mumbai), Indira Gandhi International Airport (New Delhi), in respect of insecticides imported by air into India

3. उपर्युक्त संशोधन के आधार पर, 'कोचीन' अब कीटनाशक अधिनियम, 1968 (संशोधित) की अनुसूची में दर्शाई गई कीटनाशकों के आयात के लिए एक अधिसूचित बंदरगाह नहीं है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी हितधारकों को कीटनाशकों के आयात के संबंध में संज्ञान लेने और नियमों का पालन करने की आवश्यकता है।

'By virtue of the above amendment, 'Cochin' is no longer a notified Port for the import of Insecticides appearing in the Schedule of Insecticides Act, 1968 (as amended). In view of the above, all the stakeholders are required to take cognisance and comply with the Rules in respect of Import of Insecticides.

4. कीटनाशक (चौथा संशोधन) नियमावली, 2017 की प्रतिलिपि संदर्भ के लिए संलग्न है।

Copy of the "Insecticides (Fourth Amendment) Rules, 2017" is enclosed for reference.

Sd/-

(सुमित कुमार SUMIT KUMAR)

सीमाशुल्क आयुक्त Commissioner of Customs

अनु: यथोपरी Encl: As above

सभी संबंधितों को डाक सूची के अनुसार जारी

Issued to: All concerned, as per mailing list.

फा सं. F.No.C1/05/2017 TU. Cus.

दिनांक Dated: 07.03.2018

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to:

- 1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय शुल्क, केंद्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क।
 The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise and Customs.
- 2. आयुक्त की फाइल/ अपर आयुक्त/ सभी उप आयुक्त व सहायक आयुक्त, विकास आयुक्त (सीएसईज़ेड)/ सभी मूल्य निरूपक/ सभी अनुभाग/ गार्ड फाइल और डाक सूची के अनुसार। सभी संबन्धित अधिकारियों को निदेशक दिया जाता है कि वे इसे नोट करें और निर्देशों/ परिवर्तनों का अनुपालन करें।

Commissioner's file/Addl Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ Development Commissioner (CSEZ)/ All Appraisers/ All Sections / Guard File and as per mailing list. All concerned officers are directed to note and comply with the instructions/changes

//अनुप्रमाणित / ATTESTED//

//जी.अनिलकुमार / G.ANHLKUMAR//

मूल्यांकक (टैरिफ यूनिट) APPRAISER (TARIFF UNIT)



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1030]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 2017/पौष 7, 1939

No. 1030]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2017/PAUSHA 7, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

सा.का.िन. 1588(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 21 अक्तूबर, 2017 में भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की अधिस्चना सं. सा.का.िन. 1317(अ), तारीख 17 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसुचना की प्रतियां 21 अक्तूबर, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर सम्यक रूप से विचार किया गया था ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है. अर्थात:-

- 1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (चौथा संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कीटनाशी नियम, 1971 के, नियम 45 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"45. वे स्थान, जहां पर कीटनाशी का आयात किया जा सकेगा.- कोई कीटनाशी निम्नलिखित स्थानों में से किसी स्थान से होकर भारत में आयात किया जा सकेगा अन्यथा नहीं, अर्थात्:-

- (i) अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो, गुरुग्राम (गुडगांव), हरियाणा,
- (ii) भारत में समुद्रमार्ग द्वारा आयात किए जाने वाले कीटनाशियों की बाबत चेन्नई बंदरगाह, जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह (मुंबई),

7432 GI/2017

(iii) भारत में वायुमार्ग द्वारा आयात किए जाने वाले कीटनाशियों की बाबत चेन्नई अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (चेन्नई), छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (मुंबई) और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (नई दिल्ली) ।"

> [फा. सं. 19-7/2006-पीपी-I] अश्वनी कमार, संयक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1650 (अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:-

- 1. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 24 जुलाई, 1976,
- 2. सा.का.नि. 736(अ), तारीख 9 दिसंबर, 1977,
- 3. सा.का.नि. 1064(अ), तारीख 7 नवंबर, 1988,
- 4. सा.का.नि. 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993,
- 5. सा.का.नि. 371(अ), तारीख 20 मई, 1999,
- सा.का.नि. 372(अ), तारीख 20 मई, 1999,
- सा.का.नि. 586(अ), तारीख 12 अगस्त, 1999,
- 8. सा.का.नि. 548(अ), तारीख 12 सितंबर, 2006,
- सा.का.नि. 692(अ), तारीख 7 नवंबर, 2006,
- 10. सा.का.नि. 128(अ), तारीख 26 फरवरी, 2009,
- 11. सा.का.नि. 174(अ), तारीख 5 मार्च, 2010,
- 12. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 11 जुलाई, 2013,
- 13. सा.का.नि. 797(अ), तारीख 13 नवंबर, 2014,
- 14. सा.का.नि. 840(अ), तारीख 5 नवंबर, 2015
- 15. सा.का.नि. 164(अ), तारीख 15 फरवरी, 2016
- 16. सा.का.नि. 794(अ), तारीख 12 अगस्त, 2016
- 17. सा.का.नि. 79(अ), तारीख 27 जनवरी, 2017,
- 18. सा.का.नि. 106(अ), तारीख 1 फरवरी, 2017, और
- 19. सा.का.नि. 1129 (अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2017.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2017

G.S.R. 1588(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) was published in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare) vide G.S.R. 1317 (E), dated the 17th October, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), dated the 21st October, 2017, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 21st October, 2017;

And whereas, objections or suggestions received from the public were duly considered in respect of the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Insecticides (Fourth Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insecticides rules, 1971, for rule 45, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "45. Places at which the Insecticides may be imported. No insecticides shall be imported into India except through one of the following places, namely: -
 - (i) Inland Container Depot, Gurugram (Gurgaon), Haryana,
 - (ii) Chennai Port, Jawaharlal Nehru Port and Mumbai Port (Mumbai), in respect of insecticides imported by sea into India,
 - (iii) Chennai International Airport (Chennai), Chhatrapati Shivaji International Airport (Mumbai), Indira Gandhi International Airport (New Delhi), in respect of insecticides imported by air into India".

[F. No. 19-7/2006 PP-I]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide No. G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended vide:—

- 1. G.S.R. 474(E), dated the 24th July, 1976,
- 2. G.S.R. 736(E), dated the 9th December, 1977,
- G.S.R. 1064(E), dated the 7th November, 1988,
- G.S.R. 533(E), dated the 6th August, 1993,
- G.S.R. 371(E), dated the 20th May, 1999,
- 6. G.S.R. 372(E), dated the 20th May, 1999,
- 7. G.S.R. 586(E), dated 12th August, 1999
- 8. G.S.R. 548(E), dated the 12th September, 2006,
- 9. G.S.R. 692(E), dated the 7th November, 2006,
- 10. G.S.R. 128(E), dated the 26th February, 2009,
- 11. G.S.R. 174(E), dated the 5th March, 2010,
- 12. G.S.R. 474(E), dated the 11th July, 2013,
- 13. G.S.R. 797(E), dated the 13th November, 2014,
- 14. G.S.R. 840(E), dated the 5th November, 2015,
- 15. G.S.R. 164(E), dated the 15th February, 2016,
- 16. G.S.R. 794(E), dated 12th August, 2016
- 17. G.S.R. 79(E), dated 27th January, 2017,
- 18. G.S.R. 106(E), dated 1st February, 2017 and
- 9. G.S.R. 1229 (E), dated 4th October, 2017.